न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के. जैन

सदस्य

प्रकरण कमांक I/निगरानी/सागर/भू0रा0/1905/2018 विरूद्व आदेश दिनांक 13–3–2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक 875/अ–70/2016–17

नरेन्द्र सिंह पिता अमर सिंह
निवासी ग्राम डाबरी तहसील व जिला
सागर म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

विजय सिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह
निवासी ग्राम डाबरी तहसील व जिला
सागर म0प्र0

.....अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0एस0 चौहान, अभिभाषक, अनावेदक

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 20/02/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित दिनांक 13–03–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक ने सीमांकन आदेश दिनांक 11–6–2015 के आधार पर ग्राम ग्राम डाबरी तहसील व जिला सागर की आराजी कमांक 46 रकवा 3.05 है0 भूमि भूमि में से 0.15 हे0 भूमि पर अनावेदक का कब्जा पाये जाने से, नायब तहसीलदार वत्त नरयावली तहसील सागर के समक्ष संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 17–11–2016 से प्रश्नाधीन भूमि से अनावेदक को

कब्जा हटाने का आदेश दिया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 21–6–2017 से अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 13–3–2018 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया। अपर आयुक्त के इसी इसी आदेश के विरूद्ध यह इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदक ने सीमांकन आदेश दिनांक 11–6–2015 के आधार पर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसपर नायब तहसीलदार ने विधिवत सीमांकन के आदेश का परिसीलन करने, साक्ष्यों ग्रहण करने एवं दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात दिनांक 17–11–2016 को अनावेदक को अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिये हैं। नायब तहसीलदार ने विधिवत प्रकिया अपनाकर बेदखल करने संबंधी आदेश दिया है, जिसे अवैधानिक एवं अनियमित नहीं कहा जा सकता है। अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा सीमांकन में त्रुटि बतलाई जाकर भूमि के बटवारे के संबध में तर्क किये हैं, जबकि आवेदक द्वारा विधिवत दिनांक 11–6–2015 को सीमांकन कराने के उपरांत बेदखली हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि अनावेदक सीमांकन आदेश से व्यथित था तब उसे सक्षम न्यायालय में उक्त सीमांकन आदेश को चुनौती देनी चाहिए थी। अनावेदक द्वारा उक्त सीमांकन आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने से अंतिम हो गया है। संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में अनावेदक की ओर से प्रस्तुत सीमांकन अथवा बटवारे के सबंध में तर्क मान्य नहीं किये जा सकते। नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाकर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अंतिम आदेश पारित किया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उचित माना है।

20/2/19

(2)

जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि शासकीय भूमि पर कब्जा उस पर इमारतें खडी की या अतिकमण सिविल न्यायालय के डिकी के आधार पर हटाया जा सकता है। अपर आयुक्त का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि सर्वप्रथम प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि नहीं है और किसी भूमिस्वामी की भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किये जाने पर संहिता की धारा 250 के तहत बेदखली की कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकरण में सीमांकन के उपरांत संहिता की धारा 250 की कार्यवाही की गई है जो अवैधानिक नहीं कही जा सकती। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में आवेदक की ओर से प्रस्तुत मान. जिला न्यायाधीश सागर जिला सागर के अपील प्रकरण कमांक एमसीए 26/18 आदेश दिनांक 22–10–2018 की सत्यापित प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदक के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है– अनावेदक जबरन यान बलपूर्वक भूमि से बेदखल करने का प्रयास नहीं करेगा तत्था अन्य किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मान. जिला न्यायाधीश द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के आधार पर भी आवेदक की भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी हैं। अनावेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में उक्त आदेश के विरूद्ध अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

4/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त सागर संभाग का आदेश दिनांक 13–3–2018 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी सागर का आदेश दिनांक 21–6–2017। नायब तहसलीदार वृत्त नरयावली तहसील व जिला सागर का आदेश दिनांक 17–11–2016 स्थिर रखा जाता है।

(आर0के0 जैन) 20/2/19
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर